सेवा में,

अंचल अधिकारी

मनातू, पलामू।

विषय :- अवैध / संदेहास्पद जमाबंदी वाद सं०

159/16-17 का स्थलीय जाँच प्रतिवेदन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि मौजा करमा रिउता में जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करके अंचल अमीन के साथ स्थलीय जाँच किया। जाँच में पाया कि गैरमजरुआ खास खाता सं० 01 प्लॉट सं० 214/E रकबा 2.00 ए० पर श्रीमती अनिता देवी पति प्रेमचन्द महतो के द्वारा जोत-कोड़ किया जा रहा है उनके द्वारा जाँच के दौरान बन्दोबस्त पर्चा एवं निर्गत रसीद प्रस्तुत किया गया है जिससे पता चलता है कि अनुमण्डल पदाधिकारी के बन्दोबस्ती वाद सं० 177/2002-03 के अन्तर्गत दिनांक 25-10-02 को मौजा कुर्मा रिउता थाना नं० 361 के अन्तर्गत उक्त खाता 01 प्लॉट सं० 214/E रकबा 2.00 ए० की बन्दोबस्ती उक्त रैयत श्रीमती अनिता देवी पति प्रेमचन्द महतो के नाम से हुआ है, जिसका जमाबंदी मौजा कुर्मा रिउता के मांग पंजी II के पेज नं० 53/10 पर दर्ज होकर ~~की~~ जमाबंदी चलते आ रहा है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी संदेहास्पद / अवैध प्रतीत नहीं होता है अतः उक्त जमाबंदी को संदेहास्पद / अवैध जमाबंदी से मुक्त किया जा सकता है।

जाँचकर्ता

अं० अमीन मनातू

[illegible] 07/2025

विश्वासभाजन

[illegible]

रा० उ० नि०

हल्का III

आदेश की क्र0सं0 एव तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई की टिप्पणी सहित
1	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन (कर्माटिल्हा) का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन अंकित है कि "मौजा–कैराडीह में जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करके अंचल अमीन के साथ स्थलीय जांच किया। जांच में पाया कि गैरमजरूआ खास खाता सं0–01, प्लौट सं0–214/E कुल रकबा– 2.00 ए0 पर श्रीमति अनिता देवी पति प्रेमचन्द महतो के द्वारा जांच के दौरान बंदोबस्ती पर्चा एवं निर्गत रसीद प्रस्तुत किया गया, जिससे पता चलता है कि अनुमण्डल पदाधिकारी के बंदोबस्ती वाद सं0 177/2002–03 के अन्तर्गत दिनांक 25.10.2002 को कर्माटिल्हा थाना नं0–361 के अंतर्गत उक्त खाता सं0–01, प्लौट सं0– 214/E कुल रकबा– 2.00 ए0 पर बंदोबस्ती उक्त रैयत श्रीमति अनिता देवी पति प्रेमचन्द महतो के नाम से हुआ है, जिसका जमाबंदी मौजा कर्माटिल्हा के मांग पंजी II के पेज सं0 53/10 पर दर्ज होकर जमाबंदी चलते आ रहा है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी संदेहास्पद/अवैध प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त जमाबंदी को संदेहास्पद/अवैध जमाबंदी से मुक्त किया जा सकता है।"

अतः अंचल अमीन, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित किए गए जांच प्रतिवेदन के आधार पर वाद की कार्रवाई...समाप्त...की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

07/07/2025
अंचल अधिकारी,
मनातू।

07/07/2025
अंचल अधिकारी,
मनातू।

Digitally signed by MADAN KUMAR SUMAN
Date: 2025.07.12 13:27:40 +05:30
Location: 10.181.239.97